



अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सैथल जिला दौसा राजस्थान




रामेश्वर

बनाम

रामेश्वर वगै0

अन्तर्गत धारा: वाद पत्र अधिघोषणा, दुरुस्ती इन्द्राज, स्थाई निषेधाज्ञा व तकास्मा

प्र0 सं0- 29/2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
09.2025	अधिवक्ता वादी श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा एड. उपस्थित। वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण के तलबी सम्मन जरिये रजिस्टर्ड एडी से पेश करने पर जारी होकर पत्रावली दिनांक 26.09.2025 को पेश हों।  उपखण्ड अधिकारी सैथल	
26/9/25	पत्रावली पेश हुई। वादी मय अधिवक्ता अनुपस्थित है। पत्रावली में पेश हुका सम्मन रजि० एडी. पेश करने पर जारी होकर पत्रावली दिनांक 27/10/25 को पेश हुई।	
27/10/25	आज PO साहब अन्य काम में/मीटिंग/दौरे पर/बार द्वारा कार्यस्थगित होने से आठता पेशी दी गई। गत आदेशों की पालना में दिनांक 24/11/25 को पेश हों। 	
24/11/25	पत्रावली पेश हुई। वादी मय अधिवक्ता अनुपस्थित है। वादी मय अधिवक्ता गत पेशी को भी अनुपस्थित रहे हैं। वादी व वादी अधिवक्ता को न्यायालय में बार-बार रुक-रुककर आवाज दिलवाई गई, परन्तु न्यायालय समय तक कोई भी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ। मतः वादी का दावा आदेश 9 नियम 8 के अन्तर्गत अदम दायरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। प्रकरण फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा दफतर दाखिल हो।  उपखण्ड अधिकारी सैथल	